देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 40 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक:दिसम्बर 09,2022

विषयः उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 में गैंगचार्ट तथा आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अध्याय-3 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-5203/छः-पु0-9-2021-31(43)-2013 दिनांकित 27.12.2021 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। नियमावली-2021 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: पत्र संख्या:डीजी-सात-एस-14(09)/2021 दिनांकित 25.04.2022 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या:डीजी-सात-एस-14(09)/2021 दिनांकित 01.06.2022 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था किन्तु जनपद स्तर पर इस नियमावली में अंकित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री शिवकुमार पाल, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांकित 30.11.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष क्रि0 मिस. बेल प्रार्थना पत्र संख्या-45814/2022 (सम्बन्धित जनपद-शाहजहाँपुर) तथा क्रि0 मिस.बेल प्रार्थना पत्र संख्या-42338/2022 (सम्बन्धित जनपद-प्रयागराज) में सुनवाई के दौरान गैंगचार्ट में अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास का उल्लेख न किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 का प्रख्यापन, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग तथा उनका दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य किया गया है। नियमावली-2021 में गैंगचार्ट, आपराधिक इतिहास तथा अन्य अभिलेख तैयार करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया अंकित की गयी है तथा मानक प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जिनका अनुपालन आज्ञापक है।

.....2

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 द्वारा निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने का तथ्य मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने पर राज्य का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता की स्थिति असहज होती है तथा इसका लाभ अन्ततः अभियुक्तों को ही मिलता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 का गहनता से अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर अपने अधीनस्थ विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को विस्तार से अवगत करा दें। इस नियमावली में अंकित समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, यदि किसी विवेचक अथवा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा नियमावली मे अंकित प्रावधानों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

09/12/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।